23/ 2017 अपील
दायरा दिनांक :–08.09.2017
निर्णय दिनांक :– 09.4.2019

उनवान

सत्यनारायण मित्तल पुत्र नवल किशोर मिततल जाति महाजन निवासी छबडा हाल मुकाम 71 बी बलवन नगर कोटा ।

बनाम

1. शालिनी पत्नी राजेन्द्र जाति महाजन निवासी छबड़ा हाल मुकाम 504 बी चम्बल अपार्टमेन्ट प्रताप नगर चम्बल गार्डन रोड कोटा।
2. लीला बाई पत्नी हरिश कुमार
3. शोभा पुत्र महेश कुमार
4. दिनेश कुमार पुत्र रमेशचन्द
5. रमेशचन्द पुत्र पूनमचन्द अकबाम महाजन निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद।
6. जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना तहसील छीपाबड़ौद।

अपील इन्तकाल संख्या 354 व 659 ग्राम नियाना
निर्णय दिनांक :– 09.4.2019

अभिभाशक उपस्थित :– 1. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलान्ट
2. श्री अशोक कुमार पारीक रेस्पो.

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 354 व 659 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के न्यायालय में इस आशय की पेश की गई थी, कि आराजी खसरा नंबर 43 रकबा 49.11 बीघा वाके नियाना तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है। उक्त आराजी मुताबिक जमाबन्दी सवम्वत 2058–61 खाता संख्या 44 जानकी बाई जोजे, श्री कृष्ण जाति महाजन निवासी छबडा तहसील छबडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। उक्त आराजी एवं अन्य के बाबत एक वसीसत नामा खातेदार जानकी बाई ने दिनांक 16.12.1991 को तहरीर करवाकर दस्तावेज को सुन व समझ कर सही होना मानते हुये रूबरू गवाहन अपना अगूठा लगाकर तथा गवाहन ने भी रूबरू जानकी बाई अपने हस्ताक्षरकर वसीयत नामा तहरीर करवाकर उक्त वसीयत नामा को कार्यालय उप पंजियक कोटा के समक्ष जानकी बाई ने वास्ते रजिस्ट्रेशन पेश किया, जिसे कार्यालय उपपंजियक कोटा ने दिनांक 17.12.1991 को प्रमाणित कर दिया। खातेदार जानकी बाई ने उक्त आराजी को लेकर सिवाय अपीलार्थी के उक्त वसीयत नामा के अतिरिक्त अन्य कोई वसीयत नामा ताजिन्दगी तहरीर व

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

लेकर सिवाय अपीलार्थी के उक्त वसीयतनामे के अतिरिक्त अन्य कोई वसीयतनामा

Scanned by CamScanner

जिस्टर्ड नही करवाया। उक्त वसीयत कर्त्ता जानकी बाई का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2003 को बमुकाम कोटा मे हो गया, लिहाजा खातेदार जानकी बाई द्वारा निष्पादित वसीयत नामा से अपीलार्थी को आराजी खसरा नंबर 43 वाके ग्राम नियाना पर अधिकार हासिल हो गये और अपीलार्थी जानकी बाई के स्वर्गवास के बाद से उक्त आराजी पर आज पर्यन्त काबिज चला आ रहा है। अभी हाल ही मे अपीलार्थी दिनांक 04.09.2017 को उक्त आराजीयात को बन्धक रखकर किसान क्रेडिट कार्य के रूप मे ऋण प्राप्त करने वास्ते पटवारी हल्का गगचाना के पास जाकर उक्त आराजी के खाते की नकल चाही तो पटवारी ने नकल देते हुये जाहिर किया कि उक्त आराजी हाल मे रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 के खातेदारी मे दर्ज है। जब अपीलार्थी ने इस बाबत ओर जानकारी चाही तो पता लगा कि ग्राम पंचायत गगचाना ने बिना किसी वैध अधिकार के इन्ताकल संख्या 659 निर्णित कर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 के खातेदारी मे दर्ज कर दी, जबकि मूल खातेदार जानकी बाई ने सिवाय रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 17.12.1991 के कोई वसीयत नामा तहरीर व रजिस्टर्ड नही करवाया, लेकिन फर्जी तोर पर इन्तकाल संख्या 354 दिनांक 05.02.2004 निर्णित करा लिया, लिहाजा इन्तकाल संख्या 354 दिनांक 05.02.2004 अवैध व अनाधिकृत होने काबिल निरस्तनिय है।

निर्णय योग्य अधिनस्त न्यायालय (ग्राम पंचायत गगचाना) रूऐदाद बिना आधार कानूनी व प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरित होने से काबिले निरस्तनीय है। रजिस्टर्ड वसियत नामा दिनांक 16.12.1991 के आधार पर खातेदार जानकी बाई की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी पर एक मात्र अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त थे, लिहाजा उक्त आराजी के बाबत इन्तकाल अपीलान्ट के हक मे निर्णय किये जाने योग्य था। खातेदार जानकी बाई ने अपीलार्थी के हक मे उपरोक्त आराजीयात के आधार पर वसीयत नामा तहरीर व रजिस्टर्ड करवाया था, जो जानकी बाई के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थी उपरोक्त आराजीयात का एक मात्र अधिकारी हो गया था। खातेदार जानकी बाई ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा को किसी वैध दस्तावेज से निरस्त भी नही करवाया। खातेदार जानकी बाई ने रेस्पोडेन्ट 1 के हक मे कोई वसीयतनामा न तो तहरीर करवाया, और न रजिस्टर्ड करवाया, न ही ऐसे किसी वसीयतनामे का अस्तित्व है, न ही उपरोक्त इन्तकाल को निर्णिय करते वक्त उसका वर्णन किया है, लेकिन इन सब के बावजूद विद्ववान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल किये एवं इन्तकाल निर्णित करने का आधार दर्ज किये, उक्त इन्तकाल निर्णित कर दिया। विधि का सुस्थापित नियम है, कि फोती इन्तकाल मृतक के प्राकृतिक वारिसान के अलावा अन्य किसी के हक मे निर्णित नही किया जा सकता, जब तक की प्राकृतिक वारिसान को तलब कर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिये जावे। सिवाय रजिस्टर्ड दस्तावेज के अन्य किसी दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल निर्णित किया जाना सम्भव नही है। विवादित इन्तकाल निर्णित किये जाने का क्षैत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। इन्तकाल संख्या 354 दिनांक 05.02.2004 को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने विवादित आराजी अपने खाते दर्ज करवाकर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 को विक्रय कर दी, तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 का नाम उक्त आराजी पर इन्तकाल संख्या 659 दिनांक 05.10.2016 से दर्ज हो गया। चूकि इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02.2004 ही गैर कानूनी है। ऐसी सूरत मे पश्चातवर्ती इन्तकाल संख्या 659 स्वमेव निरस्तनीय है। इन्तकाल संख्या 354 वाके ग्राम नियाना का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 04.09.2017 को हुआ, जबकि अपीलार्थी कृषि ऋण प्राप्त करने के क्रम मे राजस्व रिकार्ड प्राप्त करने बाबत पटवारी हल्का से मिला। इस पर अपीलार्थी को पटवारी हल्का द्वारा नकल जमाबन्दी प्रदान की, इस पर अपीलार्थी ने अभिभाषक नियुक्ति राजस्व रिकार्ड इत्यादि की नकले प्रापत करने पर यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को इन्तकाल नंबर 354 व इन्तकाल नंबर

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारा

Scanned by CamScanner

का इससे पूर्व कतई ज्ञान नही था, लिहाजा ज्ञान की तारीख से अपील अवधी मध्य पेश है, और अपील की प्रस्तुती मे एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मे शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया जा रहा है, लिहाजा ज्ञान की तारीख से अपील अवधी मध्य पेश की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ता 5 की और से जवाब पेश हुआ। जवाब की विशेष आपत्तियों मे बताया कि पूर्व खातेदार जानकी बाई जोजे श्री कृष्ण द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पक्ष मे दिनांक 05.01.2003 को वसीयतनामा रूबरू गवाहन आलेखित किया गया है, तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे वर्णित किया गया, तथाकथित वसियतनामा दिनांक 16.12.1991 को निष्पादित व दिनांक 17.12.1991 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा बताया गया है, जो पूर्ववर्ती वसियतनामा है। पूर्व खातेदार जानकी बाई द्वारा अपने जीवन काल का अन्तिम वसियतनामा दिनांक 05.01.2003 को निष्पादित किया गया है। वसीयत के बारे मे विधि का यह सुस्थापित नियम है, कि नवीनतम (अन्तिम) वसीयत ही अस्तित्व मे रहती है, एवं वसीयत नामा सादा कागज (प्लेन पेपर) पर भी कि जा सकती है, एवं वसीयतनामा का पंजियन करवाना जरूरी नही है, जिसको माननीय अपर न्यायालयों ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों मे माना है। 1. आर.आर.डी. मार्च 2018 पेज 167, 2. आर.आर. डी. अप्रेल 2006 पेज 190, 3. आर.एल.डब्ल्यू 2005 (2) पेंज 2006, 4. आर.आर.टी. 2002 (2) पेज नंबर 786, 5. आर.बी.जे. 2005 पेंज नंबर 592, 6. आर.बी.जे. 2000, पेज नंबर 313, इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02 2004 को खोला गया है, जिसे तस्दीक हुये आज लगभग 15 वर्ष हो गये है। इसलिए उक्त अपील मियाद बहार अपील की श्रेणी मे आने के कारण अपील पूर्णतया खारिज करने योग्य है। अपीलान्ट ने जिस तथाकथित वसीयत दिनांक 16.12.1991 को आधार बनाकर उक्त अपील प्रस्तुत की है, उसको अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक 22.01.2019 तक शामिल पत्रावली नही किया है। इस कारण उक्त अपील चलने योग्य नही है, तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के पक्ष मे दिनांक 05.01.2003 को पूर्व खातेदार जानकी बाई द्वारा निष्पादित वसियत नामा का पूर्ण ज्ञान व भान था, और रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा किसी वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 05.02.2004 को रेस्पोडेन्ट नंबर 6 द्वारा विधिक प्रावधानो के आधार पर इन्तकाल नंबर 354 ग्राम नियाना निर्णित किया गया है, और राजस्व रिकार्ड मे रेस्पोडेन्ट नंबर 1 का नाम जानकी बाई के स्थान पर बतौर खातेदार दर्ज हुआ। अपीलान्ट ने तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 16.12.1991 की बताई है, तथा वसीयतकर्त्ता जानकी बाई का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2003 को बताया है। अपीलार्थी द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर जानकी बाई की मृत्यु के 15 वर्ष उपरान्त आज पर्यन्त तक भी नामान्तकरण की कोई कार्यवाही अपने पक्ष मे नही की गई है, जबकि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 ने जानकी बाई की अन्तिम वसीयत दिनांक 05.01.2003 के आधार पर दिनाक 05.02.2004 को अपने पक्ष मे निर्णित करा लिया, इसलिए उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने जानकी बाई जोजे श्री कृष्ण द्वारा अपने जीवनकाल मे की गई अन्तिम वसीयत दिनांक 05.01.2003 को किसी भी सिविल न्यायालय मे चेलेन्ज करके उसे निरस्त नही कराया है। इसलिए अन्तिम वसीयतनामा दिनांक 05.01.2003 के आधार पर खोला गया इन्तकाल संख्या 354 ग्राम नियाना किसी भी सूरत मे खारिज नही किया जा सकता।

उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 के अनुसार हिन्दु नारी की सम्पत्ति उसकी आत्मन्तिकतः सम्पत्ति मानी गई है, एवं उसको उक्त सम्पत्ति का पूर्ण मालिक माना गया है। इसलिए उसके द्वारा दिनांक 05.01.2003 को की गई वसीयत पूर्णतया वैध है, एवं उसके आधार पर खोला गया

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर जिला धौलपुर

Scanned by CamScanner

न्तकाल संख्या 354 ग्राम नियाना पूर्णतया वैध है। खातेदार जानकी बाई द्वारा दिनांक 05.01.2003 को निष्पादित अन्तिम वसीयतनामा के आधार पर निर्णित इन्तकाल संख्या 354 ग्राम नियाना खोला गया तथा उक्त इन्तकाल के आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को जानकी बाई के स्थान पर खातेदारी अधिकार हासिल हो गये, तथा एक खातेदार को अपनी सम्पत्ति को हर प्रकार से अन्तरित करने के पूर्ण अधिकार हासिल होते है, और इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 द्वारा अपने खाते की आराजी का बेचान प्रतिफल राशि प्राप्त करके रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 के पक्ष मे किया गया, तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 659 दिनांक 05.10.2016 निर्णित किया गया। इसलिए उक्त इन्तकाल किसी भी सूरत मे खारिज नही किया जा सकता। पूर्व खातेदार जानकी बाई द्वारा अपने जीवनकाल का अन्तिम वसीयत नामा दिनांक 05.01.2003 को निष्पादित किया गया था। जिसके आधार पर ही इन्तकाल संख्या 354 ग्राम नियाना निर्णित हुआ है, और इन्तकाल संख्या 354 ग्राम नियाना रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नवल किशोर जाति महाजन निवासी छबड़ा के पक्ष मे निर्णित हुआ है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट नंबर 1 को पक्षकार बनाकर ही अपील प्रस्तुत की है, जबकि राजेन्द्र प्रसाद के भी इन्तकाल संख्या 354 से अधिकार प्रभावित होते है। इसलिए उक्त अपील मे पक्षकारों का दोष होने से उक्त अपील प्रथम दृष्टया काबिल खारिजी है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02.2004 वाके ग्राम नियाना, इन्तकाल नंबर 359 दिनांक 05.10.2016 वाके ग्राम नियाना पेश किया। नकल वसीयतनामा दिनांक 16.12.1991 पेश की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल फोटो प्रति वसीयतनामा दिनांक 05.01.2003 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है, कि ग्राम पंचायत गगचाना द्वारा इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02.2004 एवं एक अन्य इन्तकाल नंबर 659 दिनांक 05.10.2016 खोला गया। चूकि दोनो इन्तकाल एक ही तारीख मे थे। दादी जी खसरा नंबर 43 की आराजी के खातेदार थे। जानकी बाई ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.12.1991 को दस्तावेज के तमाम तथ्य व गवाहन के समक्ष अपनी निशानी अंगूठा करके की गई थी। उक्त वसीयतनामा रजिस्टर्ड वसीयतनामा है। जानकी बाई हाल निवासी शक्ति नगर कोटा की है, जिनकी उम्र 72 वर्ष थी, समस्त सम्पत्तियों की वसीयत मेरे पक्ष मे कराई थी। वसीयतनामा दिनांक 16.12.1991 को तहरीर कराकर दिनांक 17.12.1991 को रजिस्टर्ड कराया था। जानकी बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2003 को हुई थी। उक्त निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत होने के बाद मेरी दादी जानकी बाई ने कोई वसियतनामा न तो अलेखित किया, न ही निष्पादित किया। इन सब के बावजूद रेस्पोडेन्ट शालिनी व राजेन्द्र मिततल ने फर्जी वसियत नामा मुर्तीब कराकर मेरी दादी जानकी बाई द्वारा कोई दस्तावेज बिना तहरीर के फर्जी अंगूठा वसीयतनामा पर करा लिया। दस्तावेज वसीयतनामा धारा 63 इण्यिन संक्सेशन एक्ट मे वर्णित निष्पादक प्रतिप्रादित तथ्यो को सही होना तस्दीक करते हुये रूबरू गवाहन तस्दीक की। गवाहन भी उसकी सहमति के आधार पर हस्ताक्षर किये है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्पादक जानकी बाई का दस्खत व अंगूठा निशानी नही है। गवाहन की भी उपस्थित शो नही हो रही है। इन्होने फर्जी तोर पर मृत्यु करके ग्राम पंचायत गगचाना के सरपंच से साठ–गांठ करके उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल संख्या 354 निर्णित करवाकर खातेदारी प्राप्त कर ली है। इन्तकाल नंबर 354 के अस्तित्व के बाद जानकारी नही होने दी। रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 को उक्त आराजीयात का विक्रय कर दिया गया। अपीलान्ट को विवादित आराजीयात से मेहरूम कर दिया। इन्तकाल नंबर 354 ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
...छबड़ा जिला बारां

Scanned by CamScanner

गगचाना द्वारा तस्दीक किया गया है, वो गलत किया गया है। उसको तस्दीक करने का कोई अधिकार नही था। इन्तकाल विधि सम्मत नही है। ग्राम पंचायत का क्षैत्राधिकार भी नही था। ग्राम पंचायत को इन्तकाल तस्दीक करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत को इन्तकाल तस्दीक करने का पावर नही था, तो ग्राम पंचायत ने इन्तकाल क्यो तस्दीक किया। ग्राम पंचायत मे रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया। कानून की निगाह मे उसकी कोई वेल्यू नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा असल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष आज तक पेश नही किया। वसीयत नामा का स्टाम्प कहा से आया। स्टाम्प का विक्रेता कोन था, काबिल था, या नही। दस्तावेज न्यायालय मे पेश करने का कई बार निवेदन किया, परन्तु दस्तावेज पेश नही किया। फोटो कॉपी तथाकथित वसियतनामा की पेश की है। असल वसीयत दस्तावेज को मुलायजा करने के बाद स्थिति सामने आएगी। तथाकथित दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत गगचाना के समक्ष पेश नही किया। अगर इसे भी माने तो यह अपंजिकृत है। तथा इसके आधार पर इन्तकाल निर्णित नही किया जा सकता। आर.आर.डी. 2016 पेज नंबर 284 अनरजिस्टर्ड डोकोमेन्ट के आधार पर इन्तकाल प्रमाणित नही किया जा सकता। दस्तावेज को मुलाजिमा फरमावें, अपंजिकृत है। शालिनी के अपील का जवाब दिया। जानकी बाई का जवाब अन्य के साथ इसलिए दिया कि दो संगे पुत्र नवल किशोर व जगदीश प्रसाद भी थे। उन्हे सूचना भी नही है। पक्षकारान मुकदमा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से अनुसूचि ए का है। जानकी बाई के उत्तराधिकारी दो संगे पुत्र होते हुये भी पुत्रवधू के नाम इन्तकाल कर दिया। यह कैसे सम्भव हो सकता है। इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने कैसे निर्णित कर दिया। इण्शिन सेक्सेशन एक्ट की धारा 263 के तहत जो बिल के आधार पर कैसे अमल दरामद हो, का लॉ है। बिल के आधार पर इन्तकाल तस्दीक होना बताया। उभय पक्षो की सुनवाई के उपरान्त वास्तविक मालिक के पक्ष मे निर्णित होगा। सुनने के बाद ही इन्तकाल निर्णित किया जाना सम्भव है। यह विवादित मेटर है। आर.आर.डी. 2016 पेज नंबर 296, बिल की वास्तविकता को टाईटल व राईट इन्तकाल प्रक्रिया से निस्तारण नही होती। शालिनी के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसियत नामा पर अंगूठा फर्जी है। पेज नंबर 1, 2, 3 पर प्रमाणित गवाह के हस्ताक्षर नही है, तीनो पेजो पर। दस्तावेज जब लिखा जाता है, तो स्थान भी लिखा होता है। रजिस्टर्ड बिल पूर्णतया जानकी बाई ने मेरे पक्ष मे दिनांक 16.12. 1991 को लिख दी थी। उसको निरस्त करने की बात कहती तो यह भी लिखती की सन् 1991 वाली वसियत को खारिज करती हूँ, यह वसियत मे कही अंकित नही है। बिल जो शालिनी के पक्ष मे है, वह फर्जी है, उस बिल से क्या आपकी खातेदारी प्राप्त करने की बात लिखी थी, तथाकथित बिल मे यदि ऐसा नही लिखा है, तो उसके आधार पर उसका नाम दर्ज नही हो सकता है। दोराने अपील जो जवाब शालिनी ने पेश किया, उसमे लिखा कि अनरजिस्टर्ड वसियत को अपीलान्ट द्वारा किसी भी न्यायालय ने चैलेन्ज नही किया है। अपीलान्ट को इन्तकाल की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की है। इन्तकाल खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में बताया कि खसरा न0 43 रकबा 49.11 बीघा वाके माल नियाना तहसील छीपाबडौद खाता संख्या 44 सम्वत् 2058–61 जानकी बाई जोजे श्री कृष्ण जाति महाजन निवासी छबडा के खातेदारी की थी। उक्त आराजीयात एवं अन्य के बाबत् खातेदार जानकी बाई ने एक वसीयत दिनांक 16.12.1991 को निष्पादित एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अस्तित्व में होते रेस्पोडेन्ट शालिनी ने बिना किसी दस्तावेज का सहारा लिये उक्त आराजी का इन्तकाल स्वयं के नाम खुलवा लिया और उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के बाद शालिनी ने उक्त आराजीयात को विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 5 को विकय कर दी तथा इन्तकाल संख्या 659 से उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट न0 2 ता 5 के खातेदारी में दर्ज हो गई। उक्त इंतकाल का ज्ञान हुआ तो

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी ने नकले प्राप्त कर अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी अपील निम्न कारणों से स्वीकार किये जाने योग्य है।

1. उपरोक्त अपील से सम्बन्धित इंतकाल न0 354 ग्राम पंचायत गगचाना द्वारा निर्णित किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत को इंतकाल निर्णित करने का क्षेत्राधिकार है। इस सम्बन्ध में व्यवस्था है कि इंतकाल राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत ही निर्णित होता है तथा राजस्थान पंचातीराज एक्ट के तहत उपरोक्त कृत्य संभव नही है। ग्राम पंचायत का कार्य राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत संभव नही है। इस सम्बन्ध में धारा 133,135,260 (1) (बी) राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (अमेन्डमेन्ट) एक्ट 1989 उल्लेखनीय है जिसमें ग्राम पंचायत को इंतकाल निर्णित करने का अधिकार नही है। इस सम्बन्ध में सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Law finder docld 355753 उल्लेखनीय है।
2. दौराने अपील रेस्पोडेन्ट ने एक दस्तावेज पेश कर उसे वसीयतनामा होना बताया है। उक्त दसतावेज इंतकाल निर्णित करते वक्त प्रस्तुत नही हुआ था। उक्त दस्तावेज का निरीक्षण करने पर निम्न बिन्दु उजागर होते है। (अ.) उक्त वसीयतनामा कतई फर्जी है। (ब.) कथित वसीयतनामा पर निष्पादक का फर्जी अंगूठा लगाया है। (स.) वसीयत के पृष्ठ संख्या 1,2 व 3 पर गवाह की निशानी ही नही है। (द.) पेज न0 4 पर कथित गवाहान का कोई वर्णन ही नही है। (य.) कथित वसीयतनामा कहां व किनकी उपस्थिति में लिखा गया दर्ज ही नही है। (र.) कथित वसीयत कर्ता को Natural heir उसके पुत्र नवल किशोर व जगदीश प्रसाद की उपस्थिति में दर्ज नही है। उक्त वसीयतनामा को साबित नही किया गया है। वसीयतनामा में अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा को निरस्त किये जाने का भी कोई विवरण नही है। लिहाजा उक्त दस्तावेज फर्जी व अप्रमाणित होने से उनका कोई मूल्य नही है। दस्तावेज के आधार पर इंतकाल निर्णित नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2016 (1) पेज न0 296, अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर इंतकाल खोला नही जा सकता। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2016 (1) पेज न0 284, अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से कोई स्वत्व प्राप्त भी नही होते। आरआरटी 2016 (1) पेज न0 723 उल्लेखनीय है।
3. अपीलार्थी को अपील का ज्ञान होने पर निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है। इस बाबत् आवेदन मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। लिहाजा अपील अवधि मध्य है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Law finder docld 89939 में यहां तक Held किया है। माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय ने Law finder docld 2106253211 में निर्णय पारित करते हुये कहा कि मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टीकोण अपनाना चाहिऐ। में माननीय उच्चतम न्यायालय ने Law finder docld 36896 का निर्णय पारित करते हुये डिले कन्डोन किया है। सम्मानीय उच्चतम न्यायालय ने आरआरटी 2018 (2) पेज न0 801 एससी में दी गई व्यवस्था– तथा तकनीकी बिन्दु पर न्याय प्राप्त करने से रोका भी नही जा सकता। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2018 (2) पेज न0 1544 एससी उल्लेखनीय है। सिवाय प्राकृतिक वारिसों के किसी अन्य के हक में इंतकाल खोला भी नही जा सकता। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2017 पेज न0 10 उल्लेखनीय है। वसीयत की वैद्यता इंतकाल की कार्यवाही में निर्णित भी नही की जा सकती। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2017 (2) पेज न0 1355 उल्लेखनीय है। इनत माम हालात में अपीलार्थी पक्ष की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ोद जिला बारा

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल न0 354 व 659 वाके ग्राम नियाना को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है

बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि अपीलान्ट सत्यनारायण मित्तल ने इन्तकाल नंबर 354 के सम्बन्ध में अपील पेश की है, जो शुरूवात मे पेश करते ही खारिज योग्य थी। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील पेश नही की है। अपील मियाद बहार है। अपील मे वाद कारण लिखा गया है, वह झूठा है। अपील की मद नंबर 11 मे कहा कि दिनांक 04.09.2017 को कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि बन्धक रखकर के.सी.सी. के लिए गया। अपीलान्ट के पक्ष मे वसियत का इन्तकाल नही खुला तो के.सी.सी. किस बात के लिए गये। पक्षकारो का कुछ संयोजन किया है। पक्षकारो का दोष होने से उक्त अपील पृथम दृष्टया काबिल खारिजी है। अपील इन्तकाल नंबर 354 मे केवल शालिनी को पक्षकार बनाया है, राजेन्द्र जी को नही। इन्तकाल नंबर 354 को अपीलान्ट चैलेन्ज कर रहे , तो सभी को पक्षकार बनाना चाहिये था। आर.आर.डी. 2016 पेज नंबर 276 वसियत के बारे मे नही है। अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के बारे मे है। अपीलान्ट द्वारा वसियत दिनांक 16.12.1991 द्वारा इनके पक्ष मे किया जाना बताया है, जो पेश की है। दिनांक 05.01.2003 को इनके पक्ष मे जानकी बाई द्वारा वसियत नही की गई है। जानकी बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2003 को हुई है। इन्तकाल 354 दिनांक 05.02.2004 को खोला गया है। सत्यनारायण ने प्रमाणित प्रतिलिपि वसीयत की सन 2008 मे उपमहानिरीक्षक पंजियन एवं पदेन कलक्टर (स्टाम्प) कोटा से प्राप्त की है। अपील पेश करते है, तो पहले सुनवाई धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत होगी। मद नंबर 2 मे वसियत के बारे मे लॉ कहता है, कि नवीनतम वसियत ही मान्य होगी, चाहे सादा कागज पर ही हो। दिनांक 05.01.2003 को की गई वसियत अन्तिम वसियत थी। हिन्दु नारी की सम्पत्ति उसकी अन्तिम आत्मन्तिकतः सम्पत्ति होती है। वह उसके अधीन ही है। धारा 5 पर बहस होनी चाहिये थी। वसियत दिनांक 16.12.1991 की तारीख को सत्यनारायण की वसियत है। जानकी बाई की मृत्यु 2003 को हुई है। वसियत की नकल उपमहानिरीक्षक पंजियन एवं पदेन कलेक्टर (स्टाम्प) कोटा से दिनांक 30.04.2008 को ली गई है। इसका मतलब यह है, कि अपीलान्ट को जानकारी सन 2008 मे हो गई थी। सन् 2008 के बाद किसी भी आधार पर कार्यवाही क्यो नही की। के.सी.सी. लेने हेतु क्यो गये। यदि मे खातेदार नही हूँ तो मै, नकल लेने क्यो जाऊगा, यह झूठ है। अपील मे इन्होने जो वाद कारण बताया गया है। वह झूठ है। वसियत के आधार पर इन्तकाल खोला जाता है। यह कहां लिखा है, कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिये। वसियत की परिभाषा 1925 धारा 2 में लिखा है, कि वसीयत का कोई फार्म नही होता, स्टाम्प की जरूरत नही होती, रजिस्टर्ड कराना जरूरी नही है। प्रत्येक पक्षकार को न्यायालय ए.डी.जे. जाना चाहिये, क्यो ? निवर्सयती 1956 वसियत करके मृत्यु हो तो वसियत कब करता है, कोई तब उत्राधिकारी को फ्री करना हो, धारा 14 के अनुसार हिन्दु सक्सेशन एक्ट मे महिला को पूरे अधिकार है। वसियत कौनसी प्रभावी होगी। रजिस्टर्ड होना जरूरी नही है। तीन प्रकार से अपील को चैलेन्ज करता हूँ। 1. धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत, 2. वसियत सादा पेपर पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नही, बाद वाली वसियत प्रभावी होगी। 3. जिस वसीयत के आधार पर इन्तकाल खारिज नही होगा, जब तक की सिविल न्यायालय मे वसीयत खारिज नही करा दे। आर.आर.डी. 2006 पेज नंबर 192 विक्रय पत्र शून्य नही हो जाता, आर.आर.डी. 2011 अपील बत्तीस साल बाद पेश की। आर.आर.डी. 2010 वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी नही है। बिरजी बाई बनाम अन्य, वसियत की विधि मान्यता की जांच राजस्व कोर्ट का कार्य नही है। आपको सिविल न्यायालय मे जाना चाहिये था। रजिस्ट्रशन जरूरी नही है। क्लीयर लिखा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज जिला बारां

Scanned by CamScanner

वसीयतनामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है। किसी भी कागज पर लिखा जा सकता है। नामान्तकरण सम्बन्धि कार्यवाही समरी कार्यवाही है। ग्राम पंचायत के अधिकार की बात करते है, तो ग्राम पंचायत को प्रोवेट प्राप्त करने की भी जरूरी नही है। आर.आर.डी. 2002 मे लिखा है, कि वसीयत के आधार पर प्रोवेट लिया जाना जरूरी नही है। वर्ष 1991 की वसियत है। वसियतकर्त्ता जानकी बाई मृत्यु 2003 मे हुई है। सन् 2008 में वसियत की जानकारी हुई, तो 11 साल तक क्या किया, कार्यवाही क्यो नही की गई, वर्ष 2003 में खातेदार की मृत्यु होने के बाद सन् 2004 मे इन्तकाल तस्दीक हुआ, तो बाकि वसीयत क्यो लेकर बैठे है। कार्यवाही क्यो नही की गई। वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक कार्यवाही क्यो नही की गई। आपको वसीयत व इन्तकाल का पूर्णतया ज्ञान था। सभी लिगल पोईन्ट के आधार पर एग्रीमेन्ट कर दिया। अपीलान्ट द्वारा धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही क्यो नही की। अपील की तारीख से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील मियाद बहार है। राजेन्द्र को पार्टी नही बनाया। बाद की वसीयत ही प्रभावी होती है। इन्तकाल नंबर 354 बिल के आधार पर खोला गया है। अगर इस बिल से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी, तो वसीयतनामा को खारिज कराने के लिये सिविल न्यायालय मे जाना चाहिये था। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल इन्तकाल नंबर 354 वाके ग्राम नियाना दिनांक 05.02.2004 के अनुसार मुताबिक वसीयतनामा के राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नवलकिशोर एवं शालिनी के खाते दर्ज करना सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है। नकल इन्तकाल नंबर 659 ग्राम नियाना दिनांक 05.10.2016 के अनुसार खातेदार शालिनी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद कोम महाजन सा.देह छबड़ा द्वारा अपने खाते की भूमि का जर्ये रजिस्टर बेचान करने पर क्रेता के नाम खोला जाना पाया जाता है। नकल रजिस्टर्ड वसियतनामा दिनांक 16.12.1991 जो जानकी बाई द्वारा सत्यनारायण व श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्तल के नाम की गई। नकल अनरजिस्टर्ड वसियतनामा दिनांक 05.01.2003 जानकी बाई द्वारा श्रीमति शालिनी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद मित्तल के पक्ष मे निष्पादित की गई। उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर यह साबित होता है, कि प्रथम वसियत खातेदार जानकी बाई द्वारा सत्यनारायण व राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष मे दिनांक 16.12.1991 को जर्ये रजिस्टर्ड तहसील कार्यालय मे करवाई गई थी। जानकी बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे ही उक्त वसियत के बाद शालिनी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष मे अनरजिस्टर्ड वसियत दिनांक 05.01.2003 को करवाई गई। खातेदार जानकी बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2003 को होना बताया है। खातेदार की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट शालिनी द्वारा वसियत के आधार पर ग्राम पंचायत गगचाना मे इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02.2004 को खुलवाया जाकर तस्दीक करवाया गया। उक्त इन्तकाल का अमल जमाबन्दी मे किया गया। खातेदार शालिनी द्वारा रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ता 5 को भूमि का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया, जिसका इन्तकाल नंबर 659 दिनांक 05.10.2016 तस्दीक किया गया। वसियतकर्त्ता जानकी बाई की मृत्यु दिनांक 18.02.2003 को हुई थी। मृत्यु के बाद अपीलान्ट द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल नही खुलवाया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 शालिनी द्वारा उसके पक्ष मे की गई वसीयत के आधार पर इन्तकाल नंबर 354 दिनांक 05.02.2004 खुलवाया जाकर तस्दीक करवाया गया। ग्राम पंचायत गगचाना को इंतकाल तस्दीक करने का पूर्ण अधिकार है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में दस्तावेज की जांच करने के बाद ही इंतकाल तस्दीक किया जाता है। अपीलान्ट को उक्त वसीयतनामा निरस्त कराने हेतु माननीय सिविल न्यायालय मे जाना चाहिये था। हिन्दु विधि के अनुसार वसियतकर्त्ता के जीवनकाल मे उसे अन्तिम नही माना जा सकता। इसलिए वसीयतकर्त्ता अपने जीवनकाल मे वसीयत को रद्द कर सकता है, और नई वसियत लिख सकता है। आर.एल.डब्ल्यू 2006

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पेज नबर 104 मृतक ने दो वसीयत निष्पादित की, तहसीलदार ने बाद वाली वसीयत पर विश्वास करते हुये नामान्तकरण तस्दीक किया गया। द्वितीय वसीयत निष्पादित करने के पश्चात् पहली वसियत प्रभावी नही होगी। नवीनतम वसीयत ही अस्तित्व मे रहती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे आर.एल.डब्ल्यू. 2006 पेज नंबर 104 आर.आर.डी. 2008 पेज नंबर 197 आर.आर.टी. 2002 पेज 786 आर.आर.डी. 2006 पेज नंबर 190 आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (2) ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 436, आर.आर.डी. 2011 पेज नंबर 749, आर.आर.डी. 2006 पेज नंबर 192, आर.आर.डी. 2011 पेज नंबर 254, आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 281, आर.आर.डी. 2010 पेज नंबर 148 रोलिंग पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नंबर 354 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है, जो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के मियाद बहार है, क्योकि अपीलान्ट द्वारा वसियत दिनांक 16.12.1991 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपमहानिरीक्षक पंजियन एवं पदेन कलेक्टर (स्टाम्प) कोटा से दिनांक 30.04.2008 को प्राप्त की है, तथा वसियतकर्त्ता की मृत्यु दिनांक 18.02.2003 को हुई थी। वर्ष 2008 के बाद अपीलान्ट द्वारा अब तक कार्यवाही क्यो नही की गई। अपील इन्तकाल मियाद बहार होने के बाद अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है, जो चलने योग्य नही है। अपीलान्ट को वसीयतनामा रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड जैसा भी है, उसको सिविल न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलांट द्वारा लिखित बहस में वसीयत फर्जी वसीयतनामा पर अंगूठा निशानी एवं गवाहान का वर्णन नही होना बताया है। यदि वसीयत फर्जी की गई है तो अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के विरूद्व सम्मानीय न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए थी। वसियत को खारिज करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट चलने योग्य नही होने से एवं सारहीन होने से खारिज किया जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner